OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Miss. Vandana, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date. 15.12.2021 .at time. 2.30 p.m .at Almora in which application claiming rights in **Reserved Forest Land** area measuring **0.980 hec.** for the Construction of न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण in forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ranikhet** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

DATE: 15.12.2021

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

Dated......15.12.2021.........

No..........................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.320 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत के भवनों का निर्माण हेतु **district Almora within jurisdiction of Nagar Palika Chiliyanaula Ranikhet in Ranikhet tahsil.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.980** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

District Collector,
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

Lata/D/mahesh sir/ FRA New(Vinod kumar)

FORM-II

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

Dated.....15:12:2021..........

No..........................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.980 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत के भवनों का निर्माण हेतु **district Almora within jurisdiction of Nagar Palika Chiliyanaula Ranikhet in Ranikhet tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.980 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Urban** area is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Vandna
District Collector, Almora
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

Lata/D/mahesh sir/ FRA New(Vinod kumar)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) रानीखेत के भवनों का निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद......अल्मोड़ा......के अन्तर्गत प्रस्तावित....न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) रानीखेत के भवनों का निर्माण.......परियोजना के निर्माण हेतु.......0.98.......हे0 वन भूमि....सिविल जज (जू.डि.) रानीखेत.....(प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

प्रपत्र—30.2

परियोजना का नामः— न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत के भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.980 है0 कुल 0.980 है0 वन भूमि का सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रानीखेत) की दिनांक 14·12·2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जय किशन उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री Jai Kishan उपजिलाधिकारी, रानीखेत अध्यक्ष (हस्ताक्षर) संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत

2— श्री प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी उप प्रभागीय वनाधिकारी , सदस्य (मुहर: उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा)

3— श्री Namrata Grover सहायक समाज कल्याण अधिकारी, , सदस्य / सचिव (हस्ताक्षर) (मुहर: सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड ताड़ीखेत)

4— श्रीमति कल्पना आर्या नगर पालिका चिलियानौला रानीखेत सदस्य (हस्ताक्षर) अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रानीखेत,चिलियानौला

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत के भवनों के निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पालिका के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित नगर पालिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...रानीखेत.... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/नगर पालिका द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **रानीखेत** परिक्षेत्र के अन्तर्गत न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत के भवनों के निर्माण हेतु 0.980 हे0 भूमि, सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र—30.3

परियोजना का नामः— न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र
नगर पालिका चिलियानौला रानीखेत

तहसील— रानीखेत व जिला—अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत के भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.980 है0 कुल 0.980 हे0 का न्याय विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में नगर पालिका चिलियानौला रानीखेत द्वारा 02.12.2021 दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/नगर पालिका की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त नगर पालिका द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका चिलियानौला रानीखेत के वासियों को उक्त वन भूमि सिविल जज (जू0डि0) ,(प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

2/12/2021

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रानीखेत,चिलियानौला
ग्राम सचिव

अध्यक्ष नगर पालिका

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
रानीखेत,चिलियानौला

प्रपत्र—30.4

दिनांक 02.12.2021........ को नगर पालिका की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगर पालिका चिलियानौला रानीखेत

कमांक	नगर पालिका में उपस्थित वरिष्ठ नगरवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दीपक कुमार	[signature]
2.	श्रीमती कमला बिष्ट	Kamala [signature]
3.	श्रीमती वीना नेगी	Veena
4.	श्री नवल पाण्डे	[signature]
5.	श्री अरुण रावत	[signature]
6.	श्री लक्ष्मण मेहरा	[signature]
7.	श्रीमती उमा रावत	Umarawat
8	श्री मदन कुवार्बी	m.s.kowarbi

[signature]
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
रानीखेत,चिलियानौला